LDA पूरे करेगा अंसल के प्रॉजेक्ट?

NCLAT ने सुनवाई के बाद कहा, NCLT करे इस बात पर विचार

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

322

FIR दर्ज हुई हैं सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अंसल API के खिलाफ 27 दिसंबर तक

क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है इन सभी मामलों की जांच

कई शहरों के प्रॉजेक्ट 'सेफ'

NCLAT ने कहा कि रियल एस्टेट मामलों में प्रॉजेक्ट-वाइज समाधान ही बेहतर तरीका है। ट्राइब्यूनल ने आदेश दिया कि दिवालिया प्रक्रिया की कार्रवाई के दायरे में लखनऊ की मदर सिटी, एक्सटेंशन और गोल्फ प्लॉट्स व राजस्थान की कुछ संपत्तियां ही आएंगी। गाजियाबाद, बुलंदशहर और हरियाणा-पंजाब के प्रॉजेक्ट इस प्रक्रिया से बाहर रहेंगे।

सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप में प्लॉट-फ्लैट खरीदने वालों को नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) ने बड़ी राहत दी है। NCLAT ने कहा है कि दिवालिया प्रक्रिया की कार्रवाई अंसल एपीआई के सभी प्रॉजेक्टों के बजाय सिर्फ उन प्रॉजेक्ट तक सीमित रहेगी, जहां कंपनी डिफॉल्टर साबित हुई है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में सुनवाई होगी। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने NCLT को यह भी विचार करने को कहा है कि क्या समझौतों के अनुसार अधूरे प्रॉजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी LDA को दी जा सकती है।

सभी प्रॉजेक्टों पर नही होगी दिवालिया की कार्रवाई

IL&FS फाइनैंशल सर्विसेज की याचिका पर सुनवाई के बाद NCLAT ने बुधवार को यह फैसला दिया। जानकारी के मुताबिक, IL&FS ने अंसल एपीआई को साल 2016 में 50 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये के दो लोन दिए थे। कंपनी ने ये लोन लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी में मदर सिटी, एक्सटेंशन और गोल्फ प्लॉट्स और राजस्थान में अजमेर, जोधपुर और जयपुर की संपत्तियों के लिए थे। जांच में सामने आया कि कंपनी पर करीब 257 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसमें से करीब 83 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट साबित हुआ। इसी आधार पर NCLT ने कंपनी को दिवालिया घोषित किया था। इस फैसले के खिलाफ कुछ आवंटियों और अंसल एपीआई कंपनी के प्रमोटर व डायरेक्टर प्रणव अंसल ने NCLAT में अपील की थी। उनका कहना था कि पूरी कंपनी दिवालिया घोषित हुई तो सभी प्रॉजेक्ट रुक जाएंगे।

▶▶ पेज 4

दिवालिया प्रक्रिया पर LDA का पक्ष भी सुनेगा NCLT

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) ने अंसल एपीआई के खिलाफ प्रॉजेक्ट वाइज दिवालिया कार्रवाई करने के फैसले के साथ एलडीए का पक्ष भी माना है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि अब नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) दिवालिया प्रक्रिया पर सुनवाई के दौरान एलडीए का पक्ष भी सुनेगा। NCLAT ने निर्देश दिया कि एलडीए का पक्ष सुने बिना मामले में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

NCLT ने बीते दिनों अंसल ग्रुप को दिवालिया घोषित करते हुए आईआरपी (इंट्रिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) नियुक्त किया था। इससे अंसल के प्रॉजेक्टों में प्लॉट, फ्लैट, विला व व्यावसायिक संपत्तियों में निवेश करने वाले हजारों निवेशकों की पूंजी फंस गई है। इनमें कई ऐसे आवंटी हैं, जिन्हें कंपनी ने साल 2009 में प्लॉट बेचे, लेकिन अब तक कब्जा नहीं दिया। NCLT ने फैसला सुनाते वक्त एलडीए, आवास विभाग समेत किसी विभाग को न तो कोई नोटिस दिया और न ही पक्ष सुना। इससे अंसल पर सरकारी विभागों का बकाया भी भी फंस गया। इस मामले में एलडीए और यूपी आवास विकास परिषद ने NCLAT में दलील दी कि ये प्रॉजेक्ट हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी के तहत बने हैं और जमीन का एक हिस्सा परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर मॉर्गेज है।

एनसीएलएटी ने अंसल के कुछ प्रॉजेक्ट्स को दिवालिया से किया बाहर

होम बायर्स असोसिएशन ने किया स्वागत : पीड़ित होम बायर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। होम बायर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले गगन टंडन ने बताया कि एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी (नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल) में पैरवी की थी। साथ ही होम बायर्स की ओर से भी कोर्ट में अपील की गई थी। यह बायर्स असोसिएशन की आधी जीत है। अभी लड़ाई और लंबी है।